

2025/982

फर्द अहकाम

(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ

राकेशकुमार

बनाम

स्टेट

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट

प्रकरण संख्या 664 वर्ष 2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुये
31.12.2025	वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तल्ब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 20.01.2026 को पेश हो।	
26.1.2026	<p>कुल्लाए करिउन उपखण्ड/PO मारु इवकाज पत्रावली मुद्रित दिनांक 25.1.2026 7</p>	
25.3.2026	<p>कुल्लाए करिउन उपखण्ड/PO मारु इवकाज पत्रावली मुद्रित दिनांक 27.3.2026 7</p>	
27.3.2026	<p>कुल्लाए करिउन उपखण्ड/PO मारु इवकाज रिपोर्ट प्राप्त हुई। पत्रावली वादी साक्ष्य दाखिल कर 10.4.2026 को पेश हो।</p>	
10.4.2026	<p>कुल्लाए करिउन उपखण्ड/PO मारु इवकाज वादी साक्ष्य दाखिल उपरान्त रिपोर्ट प्राप्त हुआ है। पत्रावली पर उपरान्त रिपोर्ट व रिपोर्ट पत्रावली हस्तगत के आधार पर वादी की जिम्मेदारी ठीक जा रहा है। मुद्रित रिपोर्ट सहित निर्णय कानून से विचारित जाकर आगामी फाइल ठीक जावे। पत्रावली नम्बर से कानूनी जाकर दाखिल उपरान्त हो।</p>	

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

